परिपत्र संख्या 10/2013

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.
"कर–भवन", अजमेर

कमांकः एफ–7(507)विधि/न्याय वेब/13/ 4560 दिनांकः 5·6·13

–::परिपत्र::–

समस्त कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा विभाग के विरूद्ध मुद्रांक प्रकरणों में पारित निर्णयों के फलस्वरूप प्राप्त मुद्रांक प्रकरणों की मूल पत्रावलियों की समीक्षा के दौरान विभाग के ध्यान में आया है, कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित ऐसे निर्णयों की प्रतियाँ रेफरेन्स कर्ता संबंधित उप पंजीयकों को नहीं भिजवायी जाती है।

संबधित उप पंजीयक को उक्त निर्णय की प्रतियाँ नहीं भिजवाने के कारण उनको स्वयं के द्वारा रैफरेंस में की गई पैरवी प्रस्तुत साक्ष्य, सबूतों के आधार पर पारित निर्णय के गुणावगुण की जानकारी नहीं हो पाती है।

अतः समस्त वृत अधिकारियों यथा कलक्टर (मुद्रांक), को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में जब भी मुद्रांक प्रकरणों में विभाग के विरूद्ध अथवा पक्ष में निर्णय पारित किया जावे तो ऐसे निर्णय की एक प्रति संबधित रैफरेन्स कर्ता यथा उप पंजीयक को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे एवं संबंधित उप पंजीयक उस निर्णय का किये गये अपने रैफरेन्स के साथ अवलोकन/परीक्षण करें, यदि उन्हे लगे कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित निर्णय में उनके रैफरेन्स के साथ प्रेषित ठोस सही साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों को सही तरीके से विधि अनुसार आंकलित किये बिना निर्णय पारित हो गया है, तो वह उन तथ्यों सबूतों की ओर ध्यानाकर्षण करवा समुचित ठोस सबूत एवं अपनी स्वयं पूर्ण टिप्पणी के साथ रिव्यू के प्रस्ताव मुख्यालय को भिजवा सकते है।

(राज खिलाड़ी मीणा) 5/6/13
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

कमांकः एफ–7(507)विधि/न्याय वेब/13/ 4561-5011 दिनांकः 5·6·13

संयुक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, लेखापरीक्षा–II, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीशों का पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली। (पांच प्रतियों में)
6. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
10. लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
11. उप/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय–अजमेर।
12. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
13. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
14. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
15. नलिन जी. नारायण डिप्टी काउंसिल राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
16. श्री के.के. बिस्सा, राजकीय अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
17. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
18. ए.सी.पी., मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर।
20. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
21. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
22. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर